न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 44/2024 बउनवानी श्री महिपाल सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री गुमान सिंह गौड म.न. 6 रजत गृह कॉलोनी , नैनवा रोड बूंदी /

GCMS No-2024/105

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2024	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित 8 बिन्दुओं की सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ एवं अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रांक 720 दिनांक 12.7.2024 से अपीलान्ट को सिर्फ नियुक्ति आदेश की बिना प्रमाणित प्रति एवं पदौन्नित आदेश के स्थान पर पदस्थापन आदेश उपलब्ध करवाया गया है। शेष बिन्दुओ की सूचना के लिए अपीलान्ट को यह कहते हुए मना कर दिया कि चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष एवं निजी सूचनाओ की श्रेणी की है। किन्तु माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय " आदेश कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य " मे दिनांक 16.12.2014 मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "सिर्फ अधिनियम की किसी धारा का हवाला देते हुए किसी आवेदक को सूचना देने से इन्कार नही किया जा सकता है बल्कि यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सूचना किस प्रकार की निजता को प्रभावित कर सकती है। यह भी अंकित किया कि चाही गयी सूचनाऐ संबंधित विभाग अपने कार्मिको के नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण आदेश/वरिष्ठता सूचिया/पदौन्नित आदेश/पदस्थापन आदेश/एसीपी से संबंधित आदेश/रोस्टर पंजिकाऐ इत्यादि को अपनी-अपनी वेबसाईट पर प्रसारित करते है जो एक प्रकार से इन दस्तावेजो का सार्वजनिकीकरण ही है यदि उक्त दस्तावेज निजी सूचना की श्रेणी मे आते तो कभी भी वेबसाईट पर अपलोड नही की जाती है। यह भी अंकित किया कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय " सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार दिनांक 14.11.2008 मे कहा है कि किसी लोक सेवक के शैक्षणिक दस्तावेज जिनके द्वारा उन्हे नियुक्ति किया गया है वह निजी दस्तावेज नही माने जा सकते है ओर ना ही इन्हे प्रदान करने से कार्मिको की निजता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है। उक्त के अतिरिक्त अपने कथन के समर्थन में बाम्बे हाईकोर्ट की गोवा बैंच द्वारा काशीनाथ जे शेटटी बनाम लोक सूचना अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2009, माननीय केरल हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय कैनरा बैंक बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 11.7.2007, माननीय सूप्रीम कोर्ट द्वारा फेरानी हॉटल्स प्रा.लि. बनाम राज्य सूचना आयोग मुंबई व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2018, दिल्ली हाईकोर्ट का नि[illegible] सूचना आयोग मे पारित निर्णय दिनांक 28.4.2009 इत्यादि की प्रतिया प्रस्तुत [illegible] गयी सूचनाऐं उपलब्ध करवाने बाबत निवदेन किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:58:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner